<u>न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर</u>

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 01/2021 अपील (GCMS/2021/00002)
पंजीयन दिनांक - 06.01.2021
निर्णय दिनांक - 16.03.2021

1. श्री गेहरसिंह पिता श्री वेणीसिंह राजपूत, निवासी मदारडा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

-अपीलार्थी

बनाम

1. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मदारडा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
2. तहसीलदार, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री सम्पतलाल बोहरा, डी.एस. शक्तावत - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-2

अपील विरूद्ध जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक प./12/3(106 राज/आवं/03)15/15/2001 (3096-4001) दिनांक 10.04.2002 अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

<u>निर्णय</u>

दिनांक 16.03.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा आदेश क्रमांक प. /12/3(106 राज/आवं/03)15/15/2001 (3096-4001) दिनांक 10.04.2002 के विरुद्ध पेश की गई है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि-

- राजस्व ग्राम मदारडा, तहसील गोगुन्दा के आराजी नम्बर 1791, 1792, 1793, 2047/1990 कुल किता 4 रकबा 0.3700 हैक्टर भूमि का आवंटन जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा आदेश क्रमांक **प./12/3(106 राज/आवं/03)15/15/2001 (3096-4001)** दिनांक 10.04.2002 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मदारडा को राजस्थान भू-राजस्व (विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सालयों, धमशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963, जिन्हे आगे 'नियम' कहा जायेगा, के अन्तर्गत किया गया

था। उक्त आवंटन से अंसतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जा.दी. का प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्रों पर निर्णय आरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया।

प्रत्यर्थी-2 की ओर से अपील का जवाब प्राप्त हुआ जिसके साथ प्रत्यर्थी संख्या-1 का प्रत्युतर संलग्न। दिनांक 02.03.2021 को वकील अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या-2 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि जिस समय अपीलार्थी ने सन् 1995 में मकान बनाया था, उस समय आराजी नम्बर 1794 अपीलार्थी के खातेदारी एवं कब्जे का था तथा आराजी संख्या-1794 का कुछ भाग आराजी नम्बर 1793 में मिला हुआ था इसकी कोई जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी तथा अपीलार्थी ने सन् 1995 में रहवास के लिए पक्के मकान का निर्माण कार्य करवाया था वह आराजी नम्बर 1793 में करवाया गया कहा जा रहा है जबकि कभी किसी ने ऐतराज नहीं किया था। सभी इस जमीन को अपीलार्थी की जमीन ही समझ रहे थे। यहा तक कि गांव मदारडा की स्कूल आराजी नम्बर 1791 पर ही बनी हुई है तथा आराजी नम्बर 1792 व 1793 भी स्कूल के लिए आवंटन की जाना कहा जा रहा है जबकि आराजी नम्बर 1793 के कुछ भाग पर अपीलार्थी का कब्जा पहले से ही चला आ रहा है। सन् 1995 में अपीलार्थी ने इस पर पक्के मकान का निर्माण कार्य करवाया तबसे अपीलार्थी एवं उसका परिवार इसमें निवास कर रहा है। यह जमीन अपीलार्थी नियमन कराने का अधिकारी है, इस जमीन पर प्रत्यर्थी का आज दिन तक एक भी दिन कब्जा नहीं रहा है, न ही उसकी कोई बाउण्ड्रीवॉल ही बनी हुई है। अपीलान्ट की कब्जेशुदा जमीन रेस्पोडेंट को आवंटित हो चुकी है, इसका ज्ञान स्वयं रेस्पोडेंट को नहीं है। अभी दिनांक 16.12.2020 को पहली बार पटवारी हल्का ने बताया कि आपका मकान जिस भाग पर बना हुआ है, वह आराजी नम्बर 1794 नहीं होकर वह आराजी नम्बर 1793 का भाग है तथा आराजी नम्बर 1793 का आवंटन स्कूल वालों का हो चुका है ऐसी स्थिति में आप इस आवंटन को निरस्त करावें तभी यह मकान आपके नाम पर नियमन किये जाने की रिपोर्ट कर सकूंगा जिस पर अपीलार्थी द्वारा जमीन के सम्बन्ध में तहसील से आलौच्य आदेश की जानकारी हुई जिसकी प्रति प्राप्त कर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई जिसमें हुई देरी को क्षमा करने बाबत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में यह कथन भी किया कि आवंटन की कार्यवाही के दौरान उपरोक्त तथ्यों के सम्बन्ध में मौके क जानकारी किए बिना गलत रिपोर्ट कर रेस्पोडेंट को भूमि आवंटित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की कब्जेशुदा जमीन के सम्बन्ध में अपीलार्थी को कथित आवंटन के पूर्व न तो नोटिस दिया और न ही उसे सुना गया। बिना मौके देखे एवं बिना तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट मंगाये आलौच्य आदेश पारित किया। 500 वर्गगज तक मकान चरागाह भूमि पर व वन भूमि पर भी बना लिये गए है तो ऐसे मकानों को बेदखल नहीं कर नियमन किया जाना आवश्यक होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट को गलत आवंटन कर दिया। यह आवंटन नियमों के विपरित व धोखे से कराया गया है। रेस्पोडेंट संख्या-2 द्वारा आवंटन शर्तों मे से शर्त नम्बर 2 की पालना नहीं की गई, यह भूमि स्कूल के प्रयोजन के लिए काम में नहीं आ रही है। उक्त मामलें में शर्त नम्बर 3 की भी पालना नहीं की गई, न तो 6 माह में कार्य प्रारम्भ हुआ न ही दो वर्षों की अवधि में निर्माण कार्य पूरा किया गया। ऐसी स्थिति में यह भूमि पुनः सरकार में वेस्ट हो गई है। इस कारण यह भूमि पुनः बिलानाम सरकार दर्ज की जाकर अपीलार्थी के नाम नियमन करने की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। न्यायहित में आराजी नम्बर 1793 का आवंटन तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाकर कथित भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज की जाकर अपीलान्ट के नाम पर नियमन करायी जाना आवश्यक है। कथित आदेश से अपीलार्थी प्रभावित व्यक्ति है तथा प्रभावित व्यक्ति को सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को न तो नोटिस दिया, न सुना, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र दफा 96 जा.दी. का प्रस्तुत किया जिसे भी स्वीकार किया जावें। अंत में अभिभाषक अपीलार्थी ने प्रार्थना की कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर जिला कलक्टर, उदयपुर का आदेश दिनांक 10.04.2002 को आराजी नम्बर 1793 रकबा 0.1150 हैक्टेर का आवंटन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मदारडा के नाम से किया गया, उस आवंटन को निरस्त कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या-2 राजकीय पेरोकार ने बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि विवादित भूमि नियम-1963 के अनुसार विद्यालय को जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा आवंटित की गई। आवंटन से पूर्व पटवारी हल्का, तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत से टिप्पणी, प्रस्ताव एवं रिपोर्ट प्राप्त की गई जो अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध है, उक्त रिपोर्ट/प्रस्ताव/टिप्पणी के आधार पर जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मदारडा को इस भूमि का आवंटन किया गया जो कि उचित निर्णय है। नियम-1963 के अधीन किये गये आवंटन के सम्बन्ध में अपील का कोई प्रावधान नहीं है। अपीलार्थी कोई हितबद्व व्यक्ति नहीं है, राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि कभी भी अपीलार्थी के नाम दर्ज नहीं रही है, ऐसे में उसे प्रश्नगत अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही प्रस्तुत

अपील मयाद बाधित है, प्रस्तुत कारण बनावटी एवं विश्वसनीय नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज करते हुए जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रत्यर्थी-2 के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश यथावत रखा जावें।

हमने उपस्थित अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। हम हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों धारा-5 मयाद अधिनियम, दफा 96 जा.दी. एवं प्रकरण का गुणावगुण पर एक साथ विवेचन किया जाना उचित समझते है।

पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि राजस्व ग्राम मदारडा, तहसील गोगुन्दा के आराजी नम्बर 1791, 1792, 1793, 2047/1990 कुल किता 4 रकबा 0.3700 हैक्टर भूमि का आवंटन राजस्थान भू-राजस्व (विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सालयों, धमशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के नियम के तहत किया गया। ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही दिनांक 11.10.2001 के प्रस्ताव संख्या-4, ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 14.10.2001, ''प्रशासन गावों के संग'' अभियान में तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 10.04.2002 से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मदारडा को आवंटन किया गया था। तहसीलदार व पटवारी रिपोर्ट दिनांक 15.10.2001 अनुसार आवेदित भूमि आराजी नम्बर 1791, 1792, 1793, 2047/1990 कुल किता 4 रकबा 0.3700 हैक्टर वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार बिलानाम सरकार सिवायचक दर्ज है। उक्त पटवारी रिपोर्ट की जांच सम्बन्धित भूअभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार द्वारा भी की गई। उक्त रिपोर्ट में तहसीलदार द्वारा उक्त आराजीयात को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मदारडा को आवंटन किये जाने की अनुशंषा की है। यह भी उल्लेखीत किया गया है कि उक्त आराजी विद्यालय भवन विस्तार/खेल मैदान हेतु राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मदारडा के नाम पर आवंटित/आरक्षित किये जाने पर ग्रामवासियों व स्थानीय ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम पंचायत चोरबावडी का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी उक्त रिपोर्ट के साथ संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध कार्यालय टिप्पणी में भूमि विवाद रहित होने का अंकन किया गया है। उक्त जांच रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वक्त आवंटन उक्त भूमि पर अनाधिवासित/खाली थी जिसका आवंटन किया जा सकता है। जो यह भी स्पष्ट करता है कि अपीलार्थी को आवंटन से पूर्व नोटिस दिया जाने का कोई औचित्य नहीं था। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से भी होती है कि अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ बिजली बिल की प्रतियां प्रस्तुत की है जो वर्ष 2009 के बाद की है। वर्ष 2009 से पूर्व के विद्युत बिल प्रस्तुत नहीं किये गये। यह इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि वक्त

आवंटन उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निमार्ण नहीं था। उक्त नियमों के नियम-1 में 'भूमि' के बारे में बताया गया है कि ''Any unoccupies Govt. Land'' का आवंटन किया जा सकेगा। अतः आवंटन के समय भूमि अनाधिवासित/खाली थी जिसका आवंटन किया जा सकता था। अतः नियम-1 के अनुसार आवेदित भूमि का उचित रूप से आवंटन हुआ था। यहा यह विवेचन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है कि यदि यह मान भी लिया जाये कि अपीलार्थी द्वारा कथित निर्माण आवंटित भूमि पर था, जो राजस्व रेकार्ड में उनके नाम कभी भी नहीं रही, तो भी इसके बारे में आर.आर.टी-2009(1) पेज-220, आर.आर.टी. -2009(2) पेज-1299 में यह अभिमत प्रकट किया गया है कि ''land in possession of Tress passer can not be treated as occupied land'' और हमारा विनम्र मत है कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के बावजुद उक्त भूमि को अनाधिवासित भूमि माना जाना चाहिए और हमारे इस मत की पुष्टि उक्त न्यायिक दृष्टांत करते है। हम यहां अंकित करना चाहते है कि अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जो यह प्रकट करता है कि आराजी नम्बर 1793 कभी उनके या उनके परिवार के अन्य सदस्य के नाम रही हो और न ही राजस्व अभिलेख से यह प्रकट होता है। अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों के प्रथम पृष्ठ पर अंकन किया कि *''जिस समय अपीलार्थी ने सन् 1995 में मकान बनाया था, उस समय आराजी नम्बर 1794 अपीलार्थी के खातेदारी एवं कब्जे का था तथा आराजी संख्या-1794 का कुछ भाग आराजी नम्बर 1793 में मिला हुआ था इसकी कोई जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी तथा अपीलार्थी ने सन् 1995 में रहवास के लिए पक्के मकान का निर्माण कार्य करवाया था वह आराजी नम्बर 1793 में करवाया गया कहा जा रहा है जबकि कभी किसी ने ऐतराज नहीं किया था। सभी इस जमीन को अपीलार्थी की जमीन ही समझ रहे थे। यहा तक कि गांव मदारडा की स्कूल आराजी नम्बर 1791 पर ही बनी हुई है तथा आराजी नम्बर 1792 व 1793 भी स्कूल के लिए आवंटन की जाना कहा जा रहा है जबकि आराजी नम्बर 1793 के कुछ भाग पर अपीलार्थी का कब्जा पहले से ही चला आ रहा है।''* अपीलार्थी के उक्त कथनों की पुष्ठि के क्रम में अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजो का विश्लेषण एवं परिक्षण किया। अपीलार्थी द्वारा ग्राम मदारडा के संवत् 2076 से 2079 की जमाबंदी आराजी संख्या-1794 प्रस्तुत की जिसमें उक्त आराजी संख्या-1794 रकबा 0.0100 हैक्टर में अपीलार्थी के पिता श्री वेणीसिंह का 1/2 हिस्सा यानि कुल रकबा 0.0050 हैक्टर का अंकन है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जो यह प्रकट करता हो कि आराजी संख्या-1794 को हिस्सा आराजी संख्या-1793 में मिल गया हो या सम्मिलित कर दिया गया हो। अपीलार्थी द्वारा कथित हिस्से का आराजी संख्या-1793 में मिलने के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई वाद या उजर प्रस्तुत किया हो, ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। तहसीलदार द्वारा अपील पर प्रस्तुत जवाब के यह बताया गया कि मकान की लम्बाई 22.5+23.50 चौडाई 19+18.5 मीटर तथा शेष भूमि पर बाड़े बनाकर घास रखने व मवेशी बांधने के उपयोग में ली जा रही है। इससे यह प्रकट होता है

कि अपीलार्थी द्वारा विद्यालय को आवंटनशुदा भूमि आराजी नम्बर 1793 रकबा 0.1150 हैक्टर पर अतिक्रमण करते हुए लगभग 0.0437 हैक्टर पर मकान निर्माण कर रखा है और शेष भूमि पर बाड़ा बना रखा है। आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि वास्तत में अपीलार्थी की आराजी संख्या-1794 में कुल हिस्सा ही 0.005 हैक्टर है जबकि अपीलार्थी द्वारा इसी आराजी से लगती हुई आराजी संख्या-1793 कुल रकबा 0.1150 हैक्टर भूमि, जो उसने विद्यालय को आवंटनशुदा भूमि है, पर कब्जा कर रखा है जो उसके खातेदारी भूमि आराजी संख्या-1794 में कुल हिस्से 0.005 हैक्टर से भी अधिक है। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ बिजली बिल की प्रतियां प्रस्तुत की है जो वर्ष 2009 के बाद के है। वर्ष 2009 से पूर्व के विद्युत बिल प्रस्तुत नहीं किये गये। यह तथ्य इस बात की ओर इंगित करता है कि वक्त आवंटन उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निमार्ण नहीं था, निर्माण आवंटन उपरान्त एक अतिक्रमी के रूप में किया गया। उपरोक्त तथ्य अपीलार्थी की राजकीय भूमि पर अवैध कब्जे की मशां का प्रकट करता है और मिथ्या तथ्य प्रकट कर उक्त भूमि को अपने नाम नियमन कराने की अवैद्यानिक कार्यवाही कराना चाहता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की स्थिति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-5(44) के अनुसार महज एक अतिक्रमी की है, जिससे कोई वैधानिक अधिकार अपीलार्थी को प्राप्त नहीं होते है। जहां तक नियमन का प्रश्न है, आर.आर.टी. 2001(1) पेज 195, इस प्रकरण में पूर्णतया लागू होती है जिसमें अभिमत प्रकट किया गया है कि ''Tresspassers have no vested right to pray for regularization'' इसके अतिरिक्त आर.बी.जे. 2017 पेज 167 में प्रकट किये गये अभिमत ''Illegal possession on Govt. Agricultural Land is no possession in the eye by Law'' से भी हम पूर्णतया सहमत है।

अपीलार्थी ने विद्यालय द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। नियम-3 में आवंटन की शर्तें दी गई है, इनमें शर्त संख्या-3 इस पर लागू होती है। शर्त संख्या-3 निम्न प्रकार है:-

> **''जिस प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन किया गया है उसी प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग किया जायेगा तथा भवन निर्माण कार्य कब्जा सौंपने के 6 माह के भीतर प्रारम्भ कर दिया जायेगा व 2 वर्ष में पूरा करा लिया जायेगा। विद्यालय व महाविद्यालयों के लिये भूमि का आवंटन इस शर्त के अध्याधीन होगा कि इस प्रकार आवंटित भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजनों के लिये भी किया जा सकेगा।''**

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शर्त संख्या-3 के सम्बन्ध में किया गया उजर स्वीकार योग्य नहीं है। यदि यह मान लिया जाये कि वक्त आवंटन कथित निर्माण कार्य किया जा चुका था तो क्या विद्यालय द्वारा उसको आवंटनशुदा भूमि जिस पर अतिक्रमण करते हुए कथित निर्माण एवं कब्जा किया हुआ है, पर आवंटन प्रयोजनार्थ कार्य करने में सक्षम था। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ बिजली बिल की प्रतियां

प्रस्तुत की है जो वर्ष 2009 के बाद की है। वर्ष 2009 से पूर्व के विद्युत बिल प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह स्पष्ट होता है कि वक्त आवंटन उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निमार्ण नहीं था, अपीलार्थी द्वारा आवंटन उपरान्त एक अतिक्रमी के रूप में कथित निर्माण किया गया। इस प्रकार के उक्त विरोधाभासी उजर स्वीकार योग्य नहीं है।

नियम-4 के अन्तर्गत आवंटन अधिकारी का वर्णन किया गया है, नियम-4(ा) के अनुसार 2(बी), (सी), (ई) व (के) के अन्तर्गत भूमि का आवंटन जिला कलक्टर द्वारा किया जावेगा। इस प्रकरण में नियम-2(बी) के अधीन भूमि का आवंटन जिला कलक्टर, उदयपुर द्वरा किया गया है जो उक्त नियमानुसार पूर्णतया सही है।

नियम-3(7) में यह प्रावधान है कि यदि नियम-3(3) का उल्लघंन पाया जाता है तो आवंटित भूमि वापस राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी। चूंकि इस प्रकरण में अपीलार्थी एक अतिक्रमी के रूप में होकर इस प्रकार के उजर प्रकट करने का वैधानिक अधिकारी नहीं है, ऐसी स्थिति में नियम-3(7) के तहत कोई कार्यवाही करने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

यहा हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 96 जा.दी.पर विवेचन किया जाना उचित समझते है। उपरोक्त स्थिति से अपीलार्थी की स्थिति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-5(44) के अनुसार महज एक अतिक्रमी की है, जिससे कोई वैधानिक अधिकार अपीलार्थी को प्राप्त नहीं होते है। न ही उसे यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 96 जा.दी. स्वीकार योग्य नहीं है। उनके अनुसरण में एवं उपरोक्त विवेचन में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का भी स्वीकार योग्य नहीं है।

जहां तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न है, यह मान भी लिया जाये की तहसीलदार द्वारा उसे अवसर प्रदान नहीं किया गया परन्तु अपीलीय न्यायालय समक्ष उसे पर्याप्त सुनवाई के अवसर प्रदान किये गये फिर भी अपीलार्थी आलौच्य आदेशों में किये विवेचन का सफलतापूर्वक खण्डन करने के असफल रहा है। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सम्बन्धित विभागों से रिपोर्ट प्राप्त कर पूर्ण परिक्षण एवं विश्लेषण कर आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

इस प्रकार नियम-1963 एवं उपयुक्त न्यायिक दृष्टांतों के दृष्टिगत करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पंहुचे है कि जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा उपरोक्त आराजीयात का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय,

मदारडा को किया गया आवंटन पूर्णतया विधि सम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत है। अपीलार्थी को इस आवंटन को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलार्थी की स्थिति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-5(44) के अनुसार महज एक अतिक्रमी की है, जिससे कोई वैधानिक अधिकार अपीलार्थी को प्राप्त नहीं होते है। अतः अपील ठोस आधारों पर आधारित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है। तहसीलदार, गोगुन्दा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी जो अतिक्रमी है, के विरूद्ध नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावें।

निर्णय सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर